संख्या– 499 /XV-2/01(08)/2018(डेरी)

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक 14–अगस्त, 2018:

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में महिला डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–692–93/लेखा प्रस्ताव आयो0 महिला डेरी /2018–19, दिनांक 27 जुलाई, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) मे प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़) के सापेक्ष सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन मद हेतु रू0 25.42 लाख (रूपये पच्चीस लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रूपये लाख में)

मद का नाम	बजट प्राविधान	स्वीकृति धनराशि
सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	100.00	25.42
योग–	100.00	25.42

1. सुपरवीजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जाति वर्ग के कार्मिकों को जो कि समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत है, के वेतन–भत्तो का भुगतान किया जा सकता है। यह धनराशि दुग्ध समितियों हेतु व्यय नहीं की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि की जायेगी तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं कय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।